समाहरणालय,पूर्णियाँ
(जिला कल्याण शाखा)
अल्पकालीन निविदा संख्या–06 / 18–19

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा, पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत/आवासित छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु आलमीरा, बुक सेल्फ, स्टील बक्सा, स्टडी टेबुल एवं पेपर स्टैंड (सामग्रियों की विशिष्टियाँ संलग्न) इत्यादि सामग्रियों का क्रय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में किया जाना है।

सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद सीलबंद निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से 12.2.19 तक जिला कल्याण कार्यालय,पूर्णियाँ में आमंत्रित की जाती है। निविदा 11:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराहन तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त किया जाएगा। निविदा की विस्तृत जानकारी पूर्णियाँ जिला के वेबसाइट purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

03. निविदादाताओं को मो0 10,000/– (दस हजार) रू0 जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पदनाम से विकलनीय होगा। अल्पकालीन निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 12.2.19 के अपराहन 1.00 बजे तक होगी। निविदा उसी दिन अपराहन 3.00 बजे खोली जाएगी।

निविदा की आवश्यक शर्तें :

1. निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में डालकर एक बड़ा लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ जी0 एस0 टी0 का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन (नवंबर 2018) का रिटर्न की प्रति, पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य एवं अनुभव प्रमाण–पत्र (कार्यादेश नहीं) संलग्न करना होगा। निविदादाता का प्रत्येक वर्ष एक करोड़ का टर्न ओवर आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में विगत तीन वर्षों का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा। अंकित दर ROUND FIGURE में होना चाहिए अन्यथा उसपर विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी सामग्री में छुट का प्रावधान हो तो छुट के पश्चात आपूर्ति की जाने वाली मूल्य ही अंकित किया जाए।
5. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता/प्रतिनिधि जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष सभी सामग्री के नमुना के साथ उपस्थित रहेंगे। नमूना अनिवार्य है।
6. वारण्टी युक्त/गारण्टी युक्त सामग्रियो से संबंधित सुरक्षित जमा वारण्टी/गारण्टी अवधि में आनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा।

9136

7. सामग्री आपुर्ति करने के उपरांत विधिवत प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात भुगतेय राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

8. निविदा स्वीकृति के पश्चात् संबंधित सफल आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, कि आपूर्ति आदेश के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप वांछित संख्या, साईज, गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर अग्रेत्तर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

9. निविदा में सफल आपूर्तिकर्त्ता को विद्यालयों / छात्रावासों में आवश्यक सामग्री का आँकलन कर उपयोग होने वाली सामग्रियों का ही आदेश निर्गत किया जाएगा।

10. स्वीकृत किये गए सामग्री की आपूर्ति नही किये जाने एवं आपूर्ति की गई सामग्रियों में गुणवत्ता तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्ति की गई सामग्री अस्वीकृत करते हुए सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

11. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी परिस्थिति मे निविदा जमा नही लिया जाएगा।

12. स्वीकृत निविदाताओं को छोड़ कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।

13. निविदा में अंकित सामग्री / विशिष्टि के अतिरिक्त अपने से किसी प्रकार का अन्य सामग्री / गुणवत्ता का दर अंकित नही करें। एक सामग्री का दर एक ही अंकित करें अन्यथा उस निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। हर स्थिति में अपने नमूना के अनुरूप सामग्री का एक ही निश्चित दर अंकित करें।

14. कोई भी निविदा या दावा पूर्णियाँ जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

15. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्युनतम मूल्यांकित दर दी जाएगी, जिसके लिए नमुना अनिवार्य होगा।

16. आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात्, अनुमान्य बिक्री कर एवं आयकर तथा अन्य अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

17. निविदादाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हे किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया है।

18. निर्धारित तिथि तक आपूर्ति नहीं करने पर पुनः दूसरे अन्य सफल निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लिया जा सकता है।

19. किसी भी निविदा को अस्वीकृत एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

(हस्ताक्षर) 24.1.19
जिला कल्याण पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

(हस्ताक्षर) 24.1.19
उप विकास आयुक्त,
पूर्णियाँ।

समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला कल्याण कार्यालय)

बिहार सरकार

Email- dwo-pur-bih@nic.in Mob.- +918789313495

बिहार सरकार

पत्रांक 120 /जि0क0

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक :– 24 / 1 /2019

विषय :– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना द्वारा पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में सामग्री क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना द्वारा पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में सामग्री का क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा के प्रकाशन के लिए निविदा सूचना इसके साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में करवाने की कृपा की जाय।

अनु0–यथावर्णित

विश्वासभाजन,

24.1.19

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक– 120 /दिनांक–

प्रतिलिपि– NIC पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न कागजातों को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने की जाय।

24.1.19

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(कल्याण शाखा)

निविदा सं0—06 / 18—19

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, एवं पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में सामग्री की आपूर्ति हेतु सूची विशिष्टियों सहित निम्न प्रकार अंकित है।

Furnitures			
1	Dinning Table	6'X3'X30" height With Iron frame angle (1.5'X1.5'X1.5 suta) 16mm Commercial playboard & Sunmica	
2	Steel Boxes	P/Sq. Ft.	
3	Paper Stand	wooden	
4	Almirah	6X3X1½, (22guaze)	
5	Book Shelf	6X3X1½, (22guaze)	

नोट— विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप सामग्रियों की संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती है।